

देश में बिजली की मांग में वृद्धि

186. श्री राम जेटमलानी :

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान देश में बिजली की मांग में निरन्तर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान बिजली की मांग बढ़ने की दर क्या-क्या थी;

(ग) क्या इस बढ़ती हुई मांग की दर के अनुसार ही बिजली उत्पादन की क्षमता सृजित की गई थी;

(घ) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान अतिरिक्त बिजली उत्पादन में वृद्धि किस दर से हुई है; और

(ङ) इस शताब्दी के अंतिम वर्ष तक देश में बिजली की मांग में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिलाबेन चिमनभाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में बिजली की मांग में वृद्धि की दर नीचे दी गई है:-

वर्ष	%वृद्धि
1992-93	5.6
1993-94	5.9
1994-95	8.9

(ग) और (घ) इन तीन वर्षों के दौरान अतिरिक्त विद्युत उत्पादन निम्नवत है:-

वर्ष	%वृद्धि
1992-93	5.0
1993-94	7.0
1994-95	9.3

(ङ) 14वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार अगले चार वर्षों के दौरान देश में मांग की प्रत्याशित प्रतिशत वृद्धि नीचे इंगित की गई है:-

वर्ष	व्यस्ततमकालीन मांग (मि०यू० में)	%वृद्धि
1996-97	416274	7.6
1997-98	447635	7.5
1998-99	481171	7.5
1999-2000	517085	7.4

Misuse of Rooms in ITDC Hotels187. DR. BAPU KALDATE:
SHRI SATYA PRAKASH
MALAVIYA:

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether attention of the Ministry has been drawn to the newsitem captioned "ITDC chief's occupancy of hotel rooms protested" appearing in 'Indian Express' dated 6th October, 1995; and

(b) if so, the steps taken to stop misuse of rooms in ITDC hotels and proper internal audit to plug tariff loss?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) Yes, Sir.

(b) The occupation of rooms in Samrat Hotel by Shri Anil Bhandari, Chairman & Managing Director of ITDC for residential purposes, has the prior approval of the Government. However since the matter has been raised again, it is being further examined.

Recommendation of 10th Finance Commission

188. SHRI JOY ADUNKARA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state whether Government will take urgent step to implement the recommendation of the 10th Finance Commission by sharing more revenue with State Governments as they are in need of more fund in view of the fact that most of the State Governments are

now sharing a substantial portion of their revenue with the newly formed panchayats and its upper forums?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V.) CHANDRASHEKHAR MURTHY: The Tenth Finance Commission (TFC) has recommended a total transfer to States at Rs. 226643 crores during 1995-2000 as against Rs. 106036 crores recommended by the Ninth Finance Commission for the period 1990-95. The recommendations of the TFC have already been accepted by the Govt. of India. A copy of the Report of the TFC alongwith a copy of explanatory memorandum as to the action taken on the recommendations of the TFC was placed on the Table of both Houses of Parliament on 14th March, 1995. Accordingly, the devolution of resources from Centre to States during 1995-2000 would be as per the recommendations of the TFC. The total devolution, as recommended by the TFC, include ad-hoc grant of Rs. 4380.93 crores for Panchayati Raj Institutions and Rs. 1,000 crores for Urban Municipal Bodies of all States to be made available in 4 equal

instalments from the year 1996-97 to 1999-2000. The Central Govt. is committed to provide funds to the States for the Panchayati Raj Institutions as per the above recommendations of the TFC.

कृषि क्षेत्र के लिये ऋण

189. चौधरी हरमोहन सिंह :

श्री ईश दत्त यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र की क्षमताओं का पूरी तरह से दोहन करने हेतु निधियों की कुल आवश्यकताओं का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रति हैक्टेयर अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिये कृषि-क्षेत्र में आदानों के उपयोग हेतु किसानों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं का भी आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ वित्त उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबी प्रसाद पाल) :

(क) से (ग) योजना आयोग के कार्यदल ने आठवीं योजनावधि के दौरान कृषि के लिए आधार स्तरीय ऋण का पूर्वानुमान लगाया था, जो निम्नानुसार है:-

वर्ष	अल्पावधिक	दीर्घावधिक	कुल
1992-93	7,619	7,369	14,888
1993-94	8,898	8,650	17,548
1994-95	10,534	10,143	20,675
1995-96	12,457	11,665	24,122
1996-97	15,041	13,414	28,455

कृषकों की उत्पादन ऋण की आवश्यकता वित्त की मात्रा के आधार पर मंजूर की जाती है। फसल ऋणों के लिए वित्त की मात्रा, स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों के लिए जिला स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित की जाती है। वित्त की इस मात्रा की वार्षिक आधार पर समीक्षा करनी होती है और इसे कीमतों में परिवर्तन, निविष्टियों के स्तर, खेती की कुल

लागत, कुल उपज, वापसी अदायगी की क्षमता आदि के आधार पर पुनः नियत किया जाता है।

(घ) वाणिज्यिक बैंकों को अपने निवल बैंक ऋण का कम से कम 18% कृषि के लिए मंजूर करना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें। कृषि को दिये जाने वाला